GRPI-211-6L-11-94	V-190/CR.J.(e)
SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 2	64 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898
in the court of	Class
Case No172/2017	Complaint or report made on
Name and address of the Complainantशा0पु0गोहद चौराहा बनाम सरजीतसिंह	
Di A	
Name, parentage, caste	and address of accused

1. सरजीतसिंह पुत्र दर्शनसिंह सिख उम्र 50 वर्ष निवासी फतेहपुर थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 13.08.17 को समय 14:20 बजे से 14:35 बजे के मध्य स्थान ग्राम फतेहपुर मोड़ के पास फतेहपुर जिला भिण्ड पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के हाथ की बनी कच्ची दो लीटर शराब को अपने आधिपत्य में रखा जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examiination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

The Offence proved, if any and in case cluse(d),clause(f)clause(g)or subsection(i)of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

(निर्णय)

(आज दिनांक 20.09.2017 को घोषित)

- 1. आरोपी / गण के विरुद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध के आरोप हैं।
- 2. आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए हैं।
- 3. आरोपी / गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी / गण को धारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध में सिद्धदोष टहराया जाता है एवं आरोपी / आरोपीगण को उक्त अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 / —रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में आरोपी / आरोपीगण को पांच दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जब्तशुदा दो लीटर कच्ची शराब अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

स्थान— गोहद दिनांक— 20.09.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

AN SUNTAIN TO